भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 866
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल को एनएचएम के तहत निधि का आवंटन

866. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने आज तक केरल राज्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत धनराशि का केंद्रीय हिस्सा कर जारी किया है;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान केरल को जारी की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केंद्र सरकार ने उक्त अवधि के दौरान केरल को एनएचएम फंड जारी करना बंद कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केंद्र सरकार एनएचएम के तहत विकास और नई योजनाओं को तैयार करने में संसद सदस्य की भूमिका सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो उस पर की गई कार्रवाई के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या केरल राज्य ने केंद्र सरकार के निर्देशानुसार एनएचएम के तहत ब्रांडिंग पूरी कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या केंद्र सरकार ने फंड की कमी के कारण मरीजों और जनता की कठिनाइयों की जांच की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा जल्द से जल्द फंड जारी करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान केरल राज्य को जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:

(करोड रु. में)

वित्त वर्ष	केंद्रीय निर्गमन
2023-24	189.15
2024-25	815.73

नोट:

1. उपरोक्त निर्गमन केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित है और इसमें राज्य का भाग शामिल नहीं है।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्गमन दिनांक 29.01.2025 तक अद्यतन है और अनंतिम है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की अवसंरचना के अनुसार भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करते हैं, जिसमें राज्यों द्वारा खंड 10.3 और 10.10 के अनुसार एनएचएम के तहत जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है।

केरल राज्य सरकार ने दिनांक 26 जून, 2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि केरल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक आदेश जारी किया है और दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की बात कही है। अनुपालन के अनुसरण में, एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 913.24 करोड़ रुपये के आवंटन में से 815.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इसका कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधीन है। एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्ताव कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त होते हैं और भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। केरल राज्य सरकार को दी गई मंजूरी सार्वजनिक डोमेन https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=53&lid=66 पर उपलब्ध है।

*****